BIHAR HUMAN RIGHTS COMMISSION (BHRC)

9, Bailey Road, Patna

(BHRC/Comp. 2214/16)

श्री बिनोद कुमार भगत, जिला भागलपुर का परिवाद पत्र।
(मुआवजा भुगतान से सम्बंधित)

15.09.2017

आवेदक उपस्थित आये, इन्हें सुना गया । आरोपों की जांच पुलिस अधीक्षक, नवगछिया एवं रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार दोनों द्वारा कराया गया है । इन जांच प्रतिवेदनों में आवेदक के शिकायत को पूर्णरूपेण सत्य माना गया है । आवेदक के साथ जो घटना घटी थी वह निर्विवाद दिनांक 17.11.2015 ई0 को सुबह 6 बजे की है । आवेदक अपनी गाड़ी बोलेरो मैक्सी ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 बी0आर0–10, जी 8006 है, छह बजे अपने किराये के मकान के सामने खाली परती जमीन में लगा दिया एवं छठ पर्व के अवसर पर अपने ससुराल अररिया कोट चला गया । दिनांक 19.11.2015 को वापस लौटकर अपने पेयजल गोदाम आने पर इनकी गाड़ी गायब पायी गई । लोगों द्वारा बताया गया कि गाड़ी दिनांक 18.11.2015 को ही गायब थी ।

अब आवेदक की शिकायत शुरू होता है कि वह दिनांक 19.11.2015 को घटना की सूचना आदर्श थाना नवगछिया को दिया तो उनके द्वारा दिनांक 22.11.2015 को बताया गया कि वह स्थान उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है । इसके बाद दिनांक 23.11.2015 को वह राजकीय रेल थाना, नवगछिया में इसकी सूचना दिया तो यह कहते हुए आवेदक के आवदेन पत्र वापस कर दिया गया कि घटनास्थल उनके क्षेत्राधिकार में नहीं पड़ता है । दिनांक 23.11.2017 को आवेदक अपनी शिकायत पुलिस अधीक्षक, नवगछिया को देने गया वह अवकाश में बाहर गये हुए थे, उनकी अनुपस्थिति में शिकायत/आवेदन पत्र अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, नवगछिया को दिया गया जो प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिये । कोई कार्रवाई नहीं होता पाकर आवेदक दिनांक 26.11.2015 को पुलिस अधीक्षक नवगछिया के जनता दरबार में लिखित सूचना दिया । उनके द्वारा बताया गया कि घटनास्थल राजकीय रेल थाना नवगछिया के क्षेत्राधिकार में है । पुलिस अधीक्षक, कटिहार घटनास्थल का निरीक्षण कर इसे आदर्श थाना नवगछिया के अंतर्गत होना कहकर चले गये और आवेदक 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं पाकर यह आवेदन पत्र दिया ।

आवेदन पत्र के जवाब में कहा गया है कि आवेदक द्वारा सूचना दिये जाने पर नवगछिया थाना का क्षेत्राधिकार नहीं होने के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं किये और मामला नवगछिया थाना और राजकीय रेल थाना, नवगछिया के बीच सीमांकन के मामले में उलझा रहा । वरीय पदाधिकारियों द्वारा सीमांकन का मामला निष्पादित किया गया, तब रेल थाना नवगछिया द्वारा काण्ड सं0 2/16 दिनांक 04.02.2016 को भा0द0सं0 के अंतर्गत अज्ञात चोर के विरुद्ध दर्ज किया गया । रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार के प्रतिवेदन में भी क्षेत्राधिकार के विवाद के कारण ही घटना को रेल थाना काण्ड सं0 2/16 दिनांक 04.02.2016 को दर्ज किये जाने की बात कहते हैं । अनुसंधान के बाद अंतिम प्रतिवेदन सं0 12/16 दिनांक 28.05.2016 सत्य तथा सूत्रहीन का माननीय न्यायालय में समर्पित किया जाना कहा गया है । आवेदक का इसके बाद एकमात्र आरोप इस बात का है कि यदि घटना के तुरंत बाद अनुसंधान/छापामारी की गई होती तो परिणाम सूत्रहीनता का नहीं आता ।

बिना किसी विवाद के यह कहा जा सकता है कि दिनांक 18.11.2015 की घटना के लिए प्राथमिकी दिनांक 04.02.2016 को दर्ज की गई । निश्चित ही हर अनुसंधान में चोरी की गई सम्पत्ति का बरामद होना या अभियुक्त का उद्‌बोधन होना संभव नहीं है, परन्तु अनुसंधान करने में किया गया विलम्ब किसी भी प्रकार संबंधित पुलिस को दोषी होने से नहीं बचा सकती । इस आरोपित घटना में क्षेत्राधिकार पर विवाद होना स्वभाविक भी माना जाय तो इस पर कोई निर्णय 2 माह 16 दिन बाद लिया जाता है और तब आवेदक की प्राथमिकी दर्ज की जाती है । एक समय ऐसा भी आता है कि नवगछिया के आदर्श थाना द्वारा शिकायत लिया जाता है, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की जाती है । अंत में रेल थाना का ही क्षेत्राधिकार पाया जाना उसे नवगछिया थाना के द्वारा किये गये दोष को दोगुणा बनाता है ।

दूसरी परिस्थिति यदि तत्काल अनुसंधान प्रारंभ किया जाता तो गाड़ी की बरामदगी शत–प्रतिशत निश्चित नहीं हो सकने पर भी बरामदगी के संभावना को 50 प्रतिशत तक ले आया जा सकता है । आवेदक द्वारा अपनी गाड़ी की कीमत जिस समय वह चोरी हुई 4 लाख कही गई है, इस पर कोई विवाद नहीं किया गया है । इसलिए प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल अनुसंधान प्रारंभ नहीं करने के कारण या क्षेत्राधिकार का निर्धारण ससमय नहीं किये जाने के कारण आदर्श थाना नवगछिया एवं रेल थाना नवगछिया दोनों दोषी करार दिये जाते हैं, इनकी जिम्मेदारी लापरवाही बरतने के कारण गाड़ी के कीमत की आधी अर्थात् 2 लाख रुपये की हो जाती है और दोष के अनुपात में

नवगछिया आदर्श थाना 70,000/– एवं रेल थाना, नवगछिया 1,30,000/– देने का जिम्मेदार बनता है जिसकी अनुशंसा आयोग द्वारा की जाती है । इस अनुशंसा के साथ संचिका बंद की जाती है ।

इस आदेश की प्रति प्रधान सचिव गृह विभाग बिहार सरकार, रेल पुलिस अधीक्षक कटिहार, पुलिस अधीक्षक नवगछिया एवं आवेदक को दी जाये ।

(न्यायमूर्ति मान्धाता सिंह)
सदस्य